राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1033/2015/अजमेर.

मैसर्स अग्रवाल मार्बल्स, किशनगढ़, अजमेर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर अजमेर.
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, वृत–किशनगढ़. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ. पी. दोसाया, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03/10/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'प्रशासनिक अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किये गये अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.3.2015 में पारित किये गये आदेश क्रमांक प( )/कर/उपा./प्रशा./अज./2015/364 दिनांक 23.03.2015 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का वर्ष 2004–05 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.03.2007 को एकपक्षीय पारित किया गया था जिसमें उनके द्वारा कोई वार्षिक विववरण पत्र या त्रैमासिक विवरण पत्र प्राप्त नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वोत्तम विवेक से रूपये 70,000/– का कर एवं ब्याज आरोपित किया गया। उक्त एकतरफा कर निर्धारण आदेश को अधिनियम की धारा 34 के तहत अपास्त कर रिओपन के आदेश दिये जाने हेतु प्रशासनिक अधिकारी को प्रार्थना–पत्र पेश किया गया था जिसे इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि व्यवसायी को आदेश मय मांगपत्र कई वर्षों पूर्व तामील करवाया गया था ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है एवं यह भी अंकित किया गया कि व्यवसायी को एकतरफा कर निर्धारण आदेश करने से पूर्व नोटिस तामील हुआ था।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी का वर्ष 2004–05 का कर निर्धारण आदेश किये जाने से पूर्व न तो कोई नोटिस तामील करवाया गया एवं न ही कर निर्धारण आदेश एवं मांगपत्र तामील करवाया गया बल्कि अपीलार्थी को दिनांक 13.03.2015 को कर निर्धारण

लगातार.....2

आदेश की प्रति प्राप्त हुई थी। उन्होंने कथन किया कि उनके द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था वह समयावधि में था क्योंकि वर्ष 2004–05 का कर निर्धारण आदेश उन्हें पूर्व में कभी प्राप्त नहीं हुआ था एवं सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु दिये गये पत्र के जवाब में वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–किशनगढ़ के पत्र संख्या 617 दिनांक 14.5.2015 के द्वारा यह बताया गया कि दिनांक 02.03.2007 को पारित कर निर्धारण आदेश डाक द्वारा भेजा गया था परन्तु वह लौटकर वापस प्राप्त हुआ है जो पत्रावली में संलग्न है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रथम बार कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.03.2015 को प्राप्त हुआ है जिसके 30 दिवस के भीतर ही प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था।

4. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि जो कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था वह एकतरफा पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस तामील नहीं करवाया गया था, ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रकरण को पुनः खोला जाना विधिक अनिवार्यता है।

5. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया।

6. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2004–05 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.03.2007 का एकपक्षीय आदेश को धारा 34 में पुनः खोले जाने से पूर्व कार्यालय के दस्तावेजों की पूर्ण जांच नहीं की गई। सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत पत्र से स्पष्ट होता है कि मांगपत्र पूर्व में कभी भी तामील नहीं करवाया गया था, ऐसी स्थिति में प्रथम बार प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.03.2015 अधिनियम की धारा 34 के तहत समयावधि में प्रस्तुत किया गया था। इसी प्रकार कर निर्धारण आदेश के पूर्व सुनवाई हेतु नोटिस तामील किये जाने का कोई भी हवाला एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश में नहीं दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि आदेश पत्र में दिनांक 02.03.2007 को सीधे यह लिखा गया है कि वर्ष 2004–05 का एस.टी.5ए पेश नहीं किया एवं दिनांक 02.03.2007 का नोटिस जारी किया लेकिन कोई जवाब प्रस्तुत नहीं होने से एकतरफा आदेश पारित किया जाता है लेकिन पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि पत्रावली के पृष्ठ संख्या 6 पर लिफाफे में नोटिस उपलब्ध है जो दिनांक 02.03.2007 के लिये जारी किया गया था परन्तु उसकी तामीली नहीं हुई है इसलिए उसकी दोनों प्रतियां पत्रावली पर ही उपलब्ध हैं। इस तरह बिना किसी नोटिस के जो कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है वह अधिनियम की धारा 34 के तहत रिओपन योग्य है। जहां तक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा यह निर्णय दिया गया

लगातार.....3

है कि कर निर्धारण आदेश बहुत वर्षों पूर्व जारी किया गया था अतः प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र धारा 34 के तहत समयावधिपार है उचित नहीं है क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त पत्र से स्पष्ट है कि मांगपत्र व्यवसायी को तामील नहीं करवाया गया था जो वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—किशनगढ़ के पत्र संख्या 617 दिनांक 14.5.2015 से प्रमाणित है। इस तरह पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड के अनुसार यह प्रमाणित है कि अपीलार्थी व्यवहारी को कर निर्धारण आदेश से पूर्व न तो नोटिस तामील करवाया गया एवं न ही मांगपत्र भी इतने वर्षों में तामील करवाया गया, बल्कि प्रथम बार कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.03.2015 को तामील करवाया गया था।

7. उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर न्यायहित में अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी के एकपक्षीय आदेश को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी की बहियात की पूरी जांच कर पुनः आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को भी यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे वर्ष 2004—05 से सम्बन्धित घोषणा पत्र एवं बहियात कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।

8. निर्णय सुनाया गया।

10/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य